

राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प. 3(4)नविवि/II/2021

जयपुर, दिनांक: 06 SEP 2022

आदेश

नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक 3(4)नविवि/II/2021 लूज दिनांक 04.06.2022 द्वारा श्री मुकेश कुमावत, उप नगर नियोजक (पूर्व), मुख्यालय, जयपुर को नगर सुधार न्यास आबू के उप नगर नियोजक का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था।

उक्त आदेशों के क्रम में न्यास आबू में कार्य की आवश्यकता को देखते हुए श्री कुमावत को निर्देशित किया जाता है कि वे 15 सितम्बर तक लगातार एवं उसके बाद प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में 3 दिवस एवं तृतीय सप्ताह में 3 दिवस नगर सुधार न्यास आबू में उपस्थित रहकर राजकार्य संपादित करेंगे।

आज्ञा से,

*Sd/-*  
(नवनीत कुमार)

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
4. वरिष्ठ शासन उपसचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. संबंधित अधिकारी।
6. रक्षित पत्रावली।

*Sd/-*  
06/09/2022

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

Memor 1

2